

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

अधि०सं०:-भवन/स्था०-01-विविध-29/2023...../पटना, दिनांक-

अधिसूचना

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना सं०-19300, दिनांक-13.10.2023 एवं पत्रांक-10360, दिनांक-11.06.2026 द्वारा निर्गत SOP (मानक संचालन प्रक्रिया) के आलोक में अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था के तहत श्री रवि कान्त, गृह जिला- जहानाबाद, अधीक्षण अभियंता (असैनिक) वरीयता क्रमांक-19/2024 को मुख्य अभियंता (असैनिक), भवन निर्माण विभाग में उनके विहित वेतनमान (वेतन स्तर-13A) सहित अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार दिया जाता है।

2. यह अधिसूचना सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना सं०-19300 दिनांक-13.10.2023 में निहित शर्तों के अध्वधीन है।

3. उपर्युक्त पदाधिकारी द्वारा वर्तमान धारित पद को अगले आदेश तक मुख्य अभियंता (असैनिक) विहित वेतनमान (वेतन स्तर-13A) में उत्क्रमित किया जाता है।

4. श्री कान्त को प्रभार ग्रहण की तिथि से मुख्य अभियंता (असैनिक) के पद पर अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार का आर्थिक लाभ देय होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(नीरज कुमार)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:-भवन/स्था०-01-विविध-29/2023...../पटना, दिनांक-

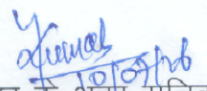
प्रतिलिपि:-महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, ई० गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ (आई०टी०मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, के माध्यम से)/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:-भवन/स्था०-01-विविध-29/2023.....**6306 (अ)**/पटना, दिनांक-.....**10.17.26**

प्रतिलिपि:-मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी/अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग/सामान्य प्रशासन विभाग/पथ निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/निगरानी विभाग/लोकायुक्त के सचिव/तकनीकी परीक्षक कोषांग, निगरानी विभाग/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के वरीय प्रधान आप्त सचिव/सभी अभियंता प्रमुख/सभी अपर सचिव/सभी संयुक्त सचिव/सभी उप सचिव/सभी मुख्य अभियंता(विद्युत सहित), भवन निर्माण विभाग/मुख्य महाप्रबंधक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, पटना/सभी अवर सचिव/सभी अधीक्षण अभियंता(विद्युत सहित)/सभी कार्यपालक अभियंता (विद्युत सहित)/संबंधित पदाधिकारी/आई०टी० मैनेजर, भवन निर्माण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के अवर सचिव।